सतत विकास और भारत– रियो+20 के लिए राष्ट्रीय व वैश्विक प्राथमिकताऐं

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्पूर्ण विश्व के राष्ट्राध्यक्ष, सिविल सोसाईटी के प्रतिनिधि और विकास के मुद्दों से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधी 20 से 22 जून 2012 को ब्राज़ील की राजधानी रियो दी जेनेरियो में एकत्रित होने जा रहे हैं। इस महासम्मेलन को रियो+20 का नाम दिया है क्योंकि 20 वर्ष पूर्व (1992) भी रियो में 172 सरकारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संयुक्तराष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और पहली बार वैश्विक राजनैतिक पटल पर सतत विकास (Sustainable Development) पर गंभीरता से चिंतन किया गया और माना गया कि सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय विकास को पृथक न कर समग्रता में देखते हुए विकास के मुद्दों पर कार्य करना चाहिए।इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण परिणाम था एजेंडा 21 जो कि 21 वीं शताबदी के विकास का एक्शन प्लान था और जिसे सभी राष्ट्रों से अपने विकास के एजेंडा में शामिल करने की अपील की गई थी। इस सम्मेलन (1992) के बीस वर्ष पश्चात पिछले बीस वर्षों का आंकलन, चुनौतियॉ व भविष्य की रणनीति तय करने के लिए एक बार फिर संयुक्तराष्ट्र संघ द्वारा यह महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

1992 के रियो सम्मेलन (अर्थ समिट) के बाद यदि विश्व परिदृश्य पर नज़र डालें तो बहुत कुछ बदलाव हुए हैं और तेज़ी से हुए हैं– उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण ने पूरे विश्व को एक ग्लोबल विलेज के रुप में परिवर्तित कर दिया है, विश्व की सरकारों द्वारा भौतिक विकास और आर्थिक विकास को विकास का आईना माना गया है। निजी कम्पनियों के उतार चढ़ाव से आर्थिक व्यवस्था महत्वपूर्ण रुप से प्रभावित होने लगी और निजी क्षेत्र का प्रभाव न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि राष्ट्रों के विकास के एजेंडा पर भी दिखाई देने लगा। आर्थिक विकास या ग्रोथ रेट को हासिल करने की होड़ में विश्व स्तर पर विकास की असतत प्रक्रिया (Unsustainable Development)अपनाई जाने लगी जिसका सबसे बड़ा कुप्रभाव पर्यावरण के असंतुलित दोहन से हुआ है। यह असंतुलित दोहन विश्व के समक्ष आर्थिक, खाद्य, ईंधन व जलवायु संकट का मुख्य कारण बना और साथ ही गरीबी और भुखमरी का दायरा बढ़ा, स्वदेशी व स्थानीय समुदायों का विस्थापन बढ़ा , मानव अधिकारों व मौलिक स्वतंत्रताओं के उल्लंघन में वृद्धी हुई, जल, जंगल, ज़मीन और स्वास्थय, पोषण जैसी मूलभूत सुविधाओं और अधिकारों से लोग वंचित हुए। ऐसे हालात में ब्राज़ील में होने जा रहे रियो सम्मेलन को कुछ देश एक अवसर के रुप में देख रहें हैं जिसमें समानता व सतत विकास पर प्रभावशाली रणनीति तय होगी लेकिन इसके प्रति राजनैतिक प्रतिबद्धता व क्रियान्वयन के स्तर पर कितना बदलाव आएगा यह अभी भी साफ नहीं है।

रियो+20 के केंद्र बिंदु और विषय वस्तु

रियो में बैठक का विषय है " सतत विकास और गरीबी उनमूलन के संदर्भ में हरित अर्थव्यवस्था " (GESPE – Green Economy in the context of Sustainable Development and Poverty Eradication) और "सतत विकास के लिए संस्थागत रुपरेखा" (IFSD – Institutional Framework on Sustainable Development)। हरित विकास लक्षित है हरित अर्थव्यवस्था और हरित रोज़गार पर, इसके लिए कई उपाय प्रस्तावित हैं। सतत विकास लक्ष्य (SDGs – Sustainable Development Goals) इसी का एक हिस्सा हैं जबकि IFSD का लक्ष्य है कि विश्व पर्यावरण से जुड़ी संस्थाओं को विभिन्न प्रस्तावो के माध्यम से सुधारा जाए जिसमें शामिल है – ECOSOC (Economic and Social Council) को मज़बूत बनाना, सतत विकास आयोग को सतत विकास परिषद में परिवर्तित करना और UNEP (United Nations Environment Programe) को सार्वभौमिक सदस्यता के माध्यम से अधिक प्रभावी बनाना। 15 विषयगत मुद्दे जिन्होने सम्मेलन का ध्यान आकर्षित किया वह इस प्रकार हैं– खाद्य सुरक्षा, ईधन, जल, शहर, हरित रोज़गार, सामाजिक समावेश, महासागर और समुद्र, प्राकृतिक आपदाऍ, जलवायु परिवर्तन, वन और जैव विविधता, बंजर भूमि, पहाड, रसायन और अवशिष्ट, सतत उपभेक्ता और उत्पादन, शिक्षा और लिंग समान्यता।

ज़ीरो ड्राफ्ट

रियो 20 और UNCSD (United Nations Conference on Sustainable Development) सम्मेलन के आउटकम/outcome दस्तावेज़ को ज़ीरो ड्राफ्ट कहा जाता है जिसका शीर्षक है– "भविष्य जो हम चाहते हैं"। नवंबर 2011 में सदस्य राज्यों, राष्ट्र संघ संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ और पर्यवेक्षक संगठनों से जानकारी संकलित करके इस मसौदे को तैयार किया गया था। UNCSD ब्यूरो द्वारा इसे 11 जनवरी 2012 को सार्वजनिक किया गया। अंतिम मसौदा जून में होनेवाली UNCSD की बैठक में अपनाया जाएगा। रियो 20 का उद्देश्य है कि सतत विकास के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धताओं का नवीकरण किया जाए, पिछले प्रतिबद्धताओं के कार्यवयान की विफलता को सुधारा जाए, और सतत विकास के लिए उभरती चुनौतियों पर ध्यान दिया जाए। ज़ीरो ड्राफ्ट को पॉच वर्गों में बांटा गया है– प्रस्तावनाए, राजनीतिक प्रतिबद्धता का नवीकरण, सतत विकास के संदर्भ में हरित अर्थव्यवस्था और गरीबी उन्मूलन, सतत विकास के लिए संस्थागत ढांचा और पालन और कार्यवाही के लिए रुपरेखा।

गरीब और विकासशील देशों के लिए क्या है ज़ीरो ड्राफ्ट में ?

विश्व स्तर पर ज़ीरो ड्राफ्ट की आलोचना कम महत्वाकांक्षी और कार्यवाई के लिए ठोस ढांचा नहीं होने की वजह से हुई है। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि जिन विषयों को चुना गया है वह संकट के सही कारणों को प्रतिबिंबित नहीं करते और इसलिए इन संकटों को दूर करने में अक्षम हैं। श्रंखलाबद्ध संकट इस तथ्य के सूचक हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त संरचना, व्यापार और सहायता से कुछ औद्यौगिक देशों और संस्थाओं पर संसाधन का वर्चस्व बन गया है जिसकी वजह से वे निजी उद्योगों के साथ सांठ गांठ करके वैश्विक संसाधनों को लूट रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त संरचना और सिस्टम से श्रम और पूंजी के बीच दूरी बढ़ी है। 1 प्रतिशत सबसे अमीर जनसंख्या का दुनिया के 40 प्रतिश्त धन पर कब्ज़ा है, जबकि आधी गरीब जनसंख्या के पास दुनिया के धन का 1 प्रतिशत से भी कम हिस्सा है।

ज़ीरो ड्राफ्ट में हरित अर्थव्यवस्था और गरीबी उन्मूलन पर स्पष्ट दृष्टि व सोच दिखाई नहीं पड़ती। स्थानीय अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, पर्यावरणीय व प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, वित्तीय व तकनीकी स्त्रोतों की उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर चिंतन दिखाई नहीं पड़ता। ज़ीरो ड्राफ्ट की शब्दावली भी ऐसी प्रतीत होती है जो कि हरित उद्योग या बाज़ार को प्रोतसाहित करती है न कि सही रूप से सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता रखती है।

ज़ीरो ड्राफ्ट को समग्रता में देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति व विकास के बीच सामन्जस्य को केंद्र में रखते हुए यह दस्तावेज़ तैयार नहीं किया गया है बल्कि आर्थिक विकास की दृष्टि ही प्रथमिकता लिए हुए दिखाई पड़ती है।

विकासशील देशों का पक्ष

विकासशील देशों का मानना है कि UNCSD में समानता, CBDR (Common But Divided Responsibility), न्याय का सिद्धांत, भागीदारी का अधिकार ऐसे 27 सिद्धांतों को स्वीकार किया गया था लेकिन ज़ीरो ड्राफ्ट में केवल CBDR और समानता को ही महत्व दिया गया है इसके अतिरिक्त विकासशील देशों का मत है कि विकसित देशों द्वारा पूर्व में किए गए वादों व प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए जबकि विकसित देश इसके प्रति उदासीन दिखाई पड़ते है।

विकासशील देशों का समूह जी 77 गरीबी उन्मूलन व सामाजिक विकास को समाविष्ट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत ढांचों में मूलभूत बदलाव चाहता है ताकि विकासशील देशों का मज़बूत प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सके जबकि विकसित राष्ट्र व्यापक स्तर पर नए सिरे से बदलाव के पक्ष में नहीं हैं। जी 77 का यह भी मानना है कि हरित अर्थव्यवस्था में राष्ट्रों की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक परिस्थितियों के

अनूरूप लचीलापन होना चाहिए। IFSD कों विकासशील देशों का समूह इस रूप में देखता है कि यह एक ऐसा माध्यम है जो कि आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय विकास के संतुलन को बनाते हुए सतत विकास को सुनिश्चित बनाने में सहायक हो सकता है।

सतत विकास के लक्ष्य

सतत विकास के सही क्रियान्वयन हेतु सतत विकास लक्ष्यों की परिकल्पना की गई है जिसमें सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का भी समावेश होगा। अभी तक इन लक्ष्यों के प्रतिक्रयात्मक व क्रियान्वयन के पहलू पर स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते।

भारत एंव विकास की प्राथमिकताऐं

आज़ादी के बाद से करीब 70 के दशक तक भारत में सामाजिक विकास को केन्द्र में रखते हुए विकास की योजनाऐं व नीतियॉ क्रियान्वत हुई। 80 के दशक में हरित क्रांति के बाद अधिक उत्पादन को महत्व दिया गया। 90 के दशक में तकनीक व प्रौद्योगिकी को महत्व देते हुए और उसके पश्चात उदारीकरण व निजीकरण के लिए दरवाज़े खोलने के बाद भारत में आर्थिक विकास–विकास की परिभाषा के रूप में स्थापित हो गया।

यद्यपि पिछले कुछ वषों में भारत में नीतिगत स्तर पर कई कानून व अधिनियम बने हैं जैसे– सूचना का अधिकार, रोज़गार का अधिकार, वन अधिकार व शिक्षा के अधिकार आदि। किन्तु क्रियान्वयन व गुणवत्ता का सवाल अभी भी बना हुआ है।

जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी भारत की भूमिका अग्रणी या उत्साह जनक नहीं रही है। विकासशील व विकसित देशों के बीच जवाबदेही को लेकर उभरे तनाव में विकासशील राष्ट्रों का पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय दोनों मंचों पर प्रभावशील डंग से भारत द्वारा नहीं रखा गया। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर ऐक्श्न प्लान बना दिया गया है लेकिन उसमें जनभागीदारी सुनिश्चित नही की गई।

रियो+20 व भारत

रियो सम्मेलन विश्व स्तर पर होने वाला सबसे बड़ा सम्मेलन है जो कि विकास के भविष्य का एजेंडा व रणनिति को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। किन्तु भारत सरकार द्वारा अभी तक अपना पक्ष या दृष्टि स्पष्टता से नहीं रखी गई है और न ही लोकसभा व राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा व बहस कराई गई है। यह निराशाजनक है खासकर तब जब हम जानते हैं कि 2015 तक सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को पाना नामुमकिन है, विश्व की आधी से अधिक भुखमरी हमारे देश में व्याप्त है, देश के 42 प्रतिशत लोग कुपोषित हैं, पीने के पानी और बिजली की उपलब्धता का संकट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कृषि भूमि लगातार सिकुड़ती जा रही है और खाद्य सुरक्षा व संप्रभुता का खतरा व्यापक होता जा रहा है।

सारांश

उपरोक्त परिदृश्य के मद्देनज़र यह आवश्यक है कि इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में भारत की प्राथमिकताओं, भविष्य की चुनौतियों पर गंभीर विचार हो और सिविल सोसाईटी के ज़रिए सरकार तक यह संदेश पहुॅचे कि जिन लोगों के प्रति उसकी जवाबदेही है उनके समक्ष सरकार को अपना पक्ष व दृष्टि रखना ज़रूरी है और भारत जैसे देश में यह अधिक आवश्यक इसलिए है क्योंकि हमारी शासन प्रणाली का स्वरूप लोकतंत्रात्मक है। यदि "तंत्र" की जवाबदेही "लोक" के प्रति सुनिश्चत नहीं होगी तो लोकतंत्र के लिए निराशाजनक बात होगी।